न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 90 / 20 (2020 / 00220)

गीता देवी पत्नि रामकरण जाति बैरवा निवासी सदारी तहसील सावर जिला अजमेर——वादीयां

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर (राजस्थान)
2.रघुनाथ पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी ग्राम मीणो का झोपड़ा
सदारी तहसील सावर जिला अजमेर (राजस्थान)

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188,92 ए,209 राजस्थान टिनेंसी एक्ट

उपस्थित :– श्री भंवरलाल शर्मा——वकील वादी
राजस्थान सरकार – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 24.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सदारी तहसील सावर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या नया –पुराना 261–240 खसरा नंबर 129 रकबा 0.97 है0 बारानी 3 वादीयां के पति रामकरण की खातेदारी की आराजीयात है जिस पर रामकरण के जीवनकाल मे रामकरण का हक व कब्जा काश्त चला आ रहा था और रामकरण ही काश्त कर रहा था। रामकरण की दिसम्बर 2015 मे मृत्यु हो चुकी है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे वादिया का नाम दर्ज नहीं हो पाया है। रामकरण की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी की खातेदार वादिया ही है और वादिया का ही हक व कब्जा काश्त उक्त आराजी पर चला आ रहा है। किन्तु दिनांक 12.08.2020 को वादिया को प्रतिवादीगण संख्या 02 ने धमकी दी कि आराजी पर जबरन कब्जा करेगे। वादिया ने दिनांक 14.08.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 को निवेदन किया कि खातेदार रामकरण की मृत्यु हो चुकी है उसके स्थान पर वादीया का नाम दर्ज कर दो किन्तु उसने कोई सुनवाई नहीं की । अतः वादिया का वाद डिकी किया जावे वादिया को वादवर्णित आराजी का खातेदार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। व प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। कि वे वादिया के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादिया को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे। एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे वादिया उकत आराजी से बेदखल न हो। अतः प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की और से वकालतनामा श्री रामअवतार मीणा ने पेश किया परन्तु बाद मे कोई उपस्थित नहीं हुआ।

वादिया के शपथ पत्र पी0ड्बल्यु 01 गीता ने शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज प्रदर्श 01 पेश की जिसमे खातेदार के रूप मे रामकरण पुत्र रतना दर्ज है। तथा प्रदर्श 02 जमावंदी संवत् 2071–74 प्रस्तुत की जिसमे खातेदार का नाम गीता देवी पत्नि रामकरण पेश की हैं। जो संलग्न पत्रावली है। पी.ड्बल्यू 02 रामस्वरूप पुत्र [illegible] पुत्र गंगाराम का शपथ पुत्र पेश हुआ।

वकील वादीयां [illegible] मे अंकित कथनो को दोहराया । तथा दस्तावेजात का आधार पर डिकी जारी करने की प्रार्थना की है। वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित हो चुका है। जो प्रदर्श 02 से जाहिर होता है। अतः वादिया का दावा डिकी [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:11:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

मैने वकील वादिया की बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रदर्श 02 जमाबंदी के अनुसार वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन हो रखा है अतः खातेदार घोषित किया जाने की आवश्यकता नही है। वादिया खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 02 अजनबी व्यक्ति है के विरूद्ध वादिया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वादिया का दाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वह ग्राम सदारी की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या नया–पुराना 261–240 खसरा नंबर 129 रकबा 0.97 है0 बारानी 03 मे वादिया के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:11:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner